

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 4542

19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झोलाछाप डॉक्टर

4542. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के कई चिकित्सकों को लाखों रुपये ठग रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा किये जा रहे हैं कौन से कानून और विधियाँ; (क) क्या सरकार को पता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से क्या नुकसान हो रहा है; (ख) क्या सरकार को पता है कि बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सकों को कौन से कानून और विधियाँ लागू हैं; (ग) क्या सरकार को पता है कि बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सकों को कौन से कानून और विधियाँ लागू हैं और यह कानून कितना प्रभावी साबित हुआ है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- (क) (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 ने चिकित्सकों को बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस अधिनियम के तहत चिकित्सकों को एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये के अथदंड या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। (ग) बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सकों को कौन से कानून और विधियाँ लागू हैं और यह कानून कितना प्रभावी साबित हुआ है?

केन्द्रों में चिकित्सकों की कमी है, जो कि मंत्रियों से अनुरोध किया गया है। सरकार को पता है कि बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सकों को कौन से कानून और विधियाँ लागू हैं और यह कानून कितना प्रभावी साबित हुआ है। सरकार को पता है कि बिना मेडिकल डिग्री अथवा लाइसंस के चिकित्सकों को कौन से कानून और विधियाँ लागू हैं और यह कानून कितना प्रभावी साबित हुआ है।

.....